दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 22.02.2023

आप.अ. 707/2009

दीपक @मोनू ....अपीलार्थी

द्वारा : श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता के साथ
अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से

बनाम

राज्य ...प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री नरेश कुमार चाहर, राज्य के लिए
अति.लो.अभि. के साथ उप नि.
पंकज, अम्बेडकर नगर पुलिस थाना।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

स्वर्ण कांता शर्मा, न्या. (मौखिक)

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 482 सह पठित धारा 374 के अंतर्गत वर्तमान अपील, अपीलार्थी द्वारा विद्वान अति. सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एससी संख्या 10/08 शीर्षक *राज्य बनाम दीपक @ मोनू और अन्य' शीर्षक* में भारतीय दंड संहिता 1860 ('भा.दं .सं.') की धारा 308/34 के तहत दंडनीय अपराधों को कारित करने के लिए पुलिस स्टेशन अंबेडकर नगर, नई दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी संख्या 452/2005 के सम्बन्ध में पारित दिनांक 22.08.2009 के निर्णय तथा सज़ा आदेश दिनांक 27.08.2009 के विरूद्ध दायर की गई है|

2. वर्तमान अपील को दिनांक 22.09.2009 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया था और अपीलार्थी की सजा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2009 के आदेश के तहत निलंबित कर दी गई थी|

3. वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 16.07.2005 को रात लगभग 9.00 बजे शिकायतकर्ता सुनील घरेलू सामान खरीदने के लिए भोला जनरल स्टोर जा रहा था। रास्ते में अभियुक्त मोनू और संजय @टिंडा (शिकायतकर्ता के परिचित) उससे मिले थे। उन्होंने शिकायतकर्ता को किसी काम के लिए उनके साथ पार्क में चलने के लिए कहा था। शिकायतकर्ता द्वारा इनकार करने पर, अभियुक्त संजय ने उसके पेट पर चाकू रखा था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण शिकायतकर्ता को ई-II ब्लॉक पार्क ले गए थे और रास्ते में मुकेश, अविनाश और संदीप उर्फ केकरी नामक अन्य अभियुक्तगण भी उनसे मिले थे। सभी पांचों अभियुक्तगण ने शिकायतकर्ता को मुक्के एवं घूसों से पीटना शुरू कर दिया था, जबकि अभियुक्त संजय ने शिकायतकर्ता के हाथों को पकड़ लिया था और अभियुक्त मोनू ने शिकायतकर्ता के सिर पर रॉड से मारा था। वह बेहोश हो गया था और एम्स अस्पताल में उसे पुनः होश आया। तदुपरांत, इस शिकायत के आधार पर, अपीलार्थीगण

और अन्य सह-अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 308/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी संख्या 452/2005 दर्ज की गई थी।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.08.2009 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 324/34 के तहत दंडनीय अपराधों हेतु दोषसिद्ध ठहराया और उसे एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाया हैं और 10,000/- रुपए का जुर्माना लगाया हैं और जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे तीन महीने का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अपीलार्थी द्वारा 10,000/- रुपये की जुर्माना राशि जमा करने के बाद, उस राशि का आधा हिस्सा शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में दिया जाए।

5. प्रारंभ में, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता, अनुदेशों पर, यह प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी आक्षेपित निर्णय पर गुणों के आधार पर अभ्याक्रमण करने का प्रस्ताव नहीं करता है और इस अपील में दी गई प्रस्तुतियों को केवल दंडादेश के बिंदु तक सीमित रखना चाहता है। यह

कहा गया है कि चूंकि वर्तमान मामले में घटना 17 साल पुरानी है, इसलिए अपीलार्थीगण की सजा उसके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक कम किया जाए।

6. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने इसके विपरीत तर्क प्रस्तुत किया है।

7. इस न्यायालय ने पक्षकारों को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया है।

8. वर्तमान मामले में, प्रश्नगत घटना दिनांक 16.07.2005 को हुई थी और अपीलार्थी को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2009 को दोषी ठहराया गया था, जिसके द्वारा उसे एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने और 10,000/- रुपये के जुर्माने का भुगतान करने की सजा सुनाई गई थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अपीलार्थी पर लगाया गया जुर्माना उसके द्वारा पहले ही जमा किया जा चुका है। अपीलार्थी की कोई पूर्व संलिप्तता नहीं है और

जेल में उसका आचरण संतोषजनक बताया गया था। यह भी स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी ने विचारण की अवधि के दौरान या वर्तमान अपील के विचाराधीनता के दौरान उसे प्रदान की गई जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था।

9. अपीलार्थी की नामावली प्राप्त हो गई है। नामावली के अनुसार, अपीलार्थी लगभग 06 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। यह अपराध वर्ष 2005 से सम्बंधित है। अपीलार्थी ने लगभग 17-18 वर्षों तक विचारण का सामना किया है। जांच अधिकारी ने कहा कि अपीलार्थी किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। यह भी है बताया गया हैं कि वर्तमान मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद उसने समाज के प्रति सकारात्मक योगदान दिया है ।

10. अपीलार्थी के स्कूल जाने वाले पांच बच्चे हैं और वह ईमानदारी पूर्वक अर्जन कर रहा है और वह इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान मामले के बाद किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है।

11. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय यह है कि अपीलार्थी से इस विलम्बित चरण में दंडादेश के शेष भाग को भुगतने की अपेक्षा करके कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा जबकि अपीलार्थी ने लगभग 17 वर्षों से विचारण का सामना किया है और आज वह अपने लिए अर्जन कर रहा है और अपने परिवार की देखभाल कर रहा है।

12. इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि यह न्यायालय अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं करता हैं तथापि कारावास के दंड को अपीलार्थी द्वारा पहले से ही भोगी गई अवधि तक कम करता हैं|

13.तदनुसार, वर्तमान अपील का उपर्युक्त शर्तों के अधीन निपटान किया जाता है।

14. जमानतनामा रद्द किया जाता है और प्रतिभू उन्मुक्त किया जाता हैं|

15. आदेश को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.

22 फरवरी, 2023/एनएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*